



राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.3(1192)नविवि/3/2010

जयपुर, दिनांक: 15 JAN 2013

आदेश

विषय:- प्रशासन गांव के संग अभियान-2013 के शिविरों में नगरीयकरण सीमा/परिधीय क्षेत्र में समिलित ग्राम पंचायतों के गांव में सार्वजनिक उपयोग, सरकारी विभागों एवं आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन बाबत।

“प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2013” के दौरान नगरीयकरण सीमा/परिधीय क्षेत्र में समिलित ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में सरकारी विभागों/ कार्यालयों/संस्थाओं, सार्वजनिक उपयोग के कार्यों तथा जनसंख्या अनुपात में आबादी विस्तार हेतु भूमि का आवंटन शिविरों में किया जाना है।

मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012’ के लिये विभागीय आदेश क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 के बिन्दु सं. 21 के अनुसार न्यास/प्राधिकरण व नगरपालिकाओं के मास्टर प्लान में दर्शाये गये परिधीय क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में वर्तमान आबादी क्षेत्र की 500 मीटर तक की परिधि में तथा पंचायत के अच्य ग्रामों की आबादी क्षेत्र से 200 मीटर तक की सीमा में आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आबादी भूमि/हस्तान्तरित सिवायचक भूमियों पर पट्टा देने की अधिकारिता दी गई थी एवं इस प्रयोजन हेतु पंचायतों को संबंधित प्राधिकरण तथा अन्य क्षेत्रों में जिला कलक्टर द्वारा पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये थे।

अब यह निर्णय भी किया गया है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित की जाने वाली भूमि पंचायत मुख्यालय वाले गांव की आबादी की 500 मीटर की परिधि के भीतर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है और इसी प्रकार अन्य गाँवों में 200 मीटर की परिधि के भीतर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित की जाने वाली भूमि सीधे ही संबंधित विभाग को दी जावेगी।

आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं यथा विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिये “प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2013” के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि आवंटन की जा सके इस प्रयोजन हेतु संबंधित प्राधिकरण/न्यास/ स्थानीय निकाय के नाम दर्ज भूमि या सिवायचक भूमि, जैसी भी स्थिति हो, को ग्राम पंचायत को आवंटित करने के लिये विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.01.2013 के द्वारा निम्नानुसार कमेटी का गठन किया गया था:-


- | | | |
|--|---|---------|
| 1 प्राधिकरण का उपायुक्त, यदि न्यास एवं स्थानीय निकाय है तो | - | अध्यक्ष |
| सचिव, एवं मुख्य नगरपालिक अधिकारी | | |
| 2 संबंधित उपखण्ड अधिकारी | - | सदस्य |
| 3 संबंधित उप नगर नियोजक या सहायक/ कनिष्ठ अभियंता | - | सदस्य |

नगरपालिका के प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी समिति का अध्यक्ष होंगे एवं मुख्य नगरपालिक अधिकारी सदस्य रहेंगे।

अब इसी क्रम में पुनः निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं:-


1. उक्त कमेटी संबंधित ग्राम पंचायत को दिनांक 17.10.2012 के निर्देशों में वर्णित सीमा के भीतर आबादी विस्तार के प्रयोजनार्थ जनसंख्या के अनुपात के दृष्टिगत अपेक्षित भूमि का आवंटन करवायेगी।
2. यदि भूमि किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिये किसी सरकारी विभाग के उपयोग में ली जानी है तो उस प्रयोजन के लिये वांछित भूमि का आवंटन संबंधित विभाग को सीधे ही किया जायेगा।
3. सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित की जाने वाली भूमि पंचायत मुख्यालय वाले गाँव की आबादी की 500 मीटर की परिधि एवं अन्य गाँव की आबादी की 200 मीटर परिधि के भीतर भी हो सकती है और इसके बाहर भी हो सकती है।
4. समिति द्वारा शमशान/कब्रिस्तान के लिये भी, आवश्यकतानुसार, भूमि का चिन्हीकरण व आरक्षण किया जावेगा।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।


(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. उप सचिव मुख्य सचिव महोदय, राज0 जयपुर
4. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग / नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज0 जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण।
8. समस्त जिला कलकर्टर्स, राजस्थान।
9. संयुक्त शासन सचिव(द्वितीय/तृतीय) / उप शासन सचिव(प्रथम), नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
11. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर।
14. आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर परिषद / पालिकाएं, राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।


(आर०क०पारीक)
संयुक्त शासन सचिव(द्वितीय)